संख्या–1584/III(3)/2020–02(एस0पी0एस0)/2020

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

विषयः– **Scheme for Special Assistance to State for Capital Expenditure के अन्तर्गत नये कार्यों की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त मंत्रालय (Dept. of Expenditure), Public Finance-State Divison, भारत सरकार के पत्र संख्या–44(1)PF-S/2020-21-Uttarakhand दिनांक 05.11.2020 में प्रदत्त स्वीकृति, वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–971/XXVII(1)2020 दिनांक 17.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा आपके पत्र सं0–1190/1प्रा0याता(क)प्रा0–उ0/2020 दिनांक 18.11.2020, पत्र संख्या–1191/01 प्रा0वि0याता(क)प्रा0–उ0/2020 दिनांक 18.11.2020, पत्र संख्या–1192/01 प्रा0वि0याता(क)प्रा0–उ0/2020 दिनांक 19.11.2020 एवं पत्र संख्या 1195/01 याता (क)प्रा0–उ0/2020 दिनांक 20.11.2020 में किये गये प्रस्ताव के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Scheme for Special Assistance to State for Capital Expenditure के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित 06 कार्यों के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **रू0 3358.24 लाख (रू0 तैंतीस करोड़ अट्ठावन लाख चौबीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:–

(1) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता कार्य पर व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित कार्य पर ही व्यय किया जाय। भारत सरकार की स्वीकृति से भिन्न कार्य पर व्यय होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(2) उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स–2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) सम्बन्धित कार्य हेतु अनुबन्धित संस्था को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 में भुगतान निहित शर्तों के अनुसार आवश्यकतानुसार ही कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन योजनाओं/कार्यों हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जायेगा।

(5) भारत सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृत कार्यों पर ही स्वीकृत लागत के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण करने की समयावृद्धि भारत सरकार को मान्य व्यवस्था अनुसार प्राप्त कर लेने व उसी समयावधि में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा स्वीकृति विशेष की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) आगणन में ली गयी सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है तथा उन दरों को बाजार भाव से अथवा कान्ट्रेक्ट से लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आगणन में दरें अनुमन्य होंगी।

(8) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक कर लिया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(10) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(11) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–971/XXVII(1)2020 दिनांक 17.11.2020 एवं तत्क्रम में वित्त अनुभाग–01 द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–01 के शासनादेश सं0–956/XXVII(1)/2020 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या–1587(1)/III(3)/2020–02(एस0पी0एस0)2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

पत्र सं0-1583/III(3) / 2020-02(एस0पी0एस0)/2020 दिनांक 16 दिसम्बर,2020 का संलग्नक

क्रसं	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)
1.	उत्तरकाशी	बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड़ मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 5.00 व किमी0 13 से 15 व किमी0 24 से 27 व किमी0 32 से 37 तक बी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य (लम्बाई 18 किमी0)।	525.29
2.	ऊधमसिंह नगर	विधान सभा क्षेत्र किच्छा में नगला किच्छा राज्य मार्ग संख्या 44 (लम्बाई 12.750 किमी0) एवं किच्छा दरऊ मुख्य जिला मार्ग (लम्बाई 8.885 किमी0) में 30 एम0एम0 मोटाई से बी0सी0 सतह सुधार कार्य।	592.00
3.	देहरादून	देहरादून मसूरी राज्य मार्ग संख्या 01 में प्रिंस चौक से मसूरी मार्ग तक बी0सी0 द्वारा मार्ग की सतह सुधार का कार्य	611.00
4.	देहरादून	विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के विभिन्न मार्गों पर बी0सी0 द्वारा सतह सुधार का कार्य (ऋषिकेश भानियावाला मार्ग, ऋषिकेश अनुगमन मार्ग, ऋषिकेश भानियावाला मार्ग (शहरी भाग), ऋषिकेश रेलवे फीडर मार्ग, श्री बाग सिंह बिष्ट मार्ग)	504.99
5.	देहरादून	विधान सभा डोईवाला के विभिन्न मार्गों पर बी.सी. द्वारा सतह सुधार का कार्य। (दोनाली, नत्थुवाला बालावाला की तरफ मार्ग, अलकनंदा इन्क्लेव व हिमाद्रि इन्क्लेव की सड़कें, हर्रावाला-नकरौंदा मार्ग, हर्रावाला- गुलरघाटी मार्ग, बालावाला, नत्थुवावाला, नत्थनपुर के आन्तरिक मार्ग)	516.96
6.	अल्मोड़ा	पिलखा से पाटिया मोटर मार्ग के किमी0 1.00 एवं 6.00 में, खैरना रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं 14) के किमी0 18.00 से 21.00 तक किमी0 26.00 से 32.00 तक, किमी0 38.00 से 47.00 तक, किमी0 59.00 से 60.00 तक, चिलियानौला लिंक मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 2.60 तक तथा लोवर माल रोड रानीखेत के किमी0 1.00 से 3.00 तक बी0सी0 द्वारा सतह सुधारीकरण एवं साईनेज सम्बन्धी कार्य	608.00
		योग-	3358.24

रू0 3358.24 लाख (रू0 तैंतीस करोड़ अट्ठावन लाख चौबीस हजार मात्र)

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोज़न–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 1135 /20 याता0'क'/2020 दिनांक–19.12.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/चतुर्थ/छठम्/नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/देहरादून/अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

19/12/2020

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून